न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 02/2022

तारीख फैसला 30.9.22

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरबिन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रेवड़ीबाई उर्फ बादाम बाई पुत्री सूरजमल, पत्नी पीरूलाल जाति गूर्जर निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादिनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादिनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा सांड तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 115 की 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 486 की 0.98 हेक्टर कुल दो किता की 1.59 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिनी का 1/12 हिस्से की सहखातेदारी दर्ज है। नकल जमाबन्दी 2076–2079 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादिनी के पिता सूरजमल व धन्ना जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। सूरजमल जी व धन्ना जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। जिसमें वादिनी का नाम सहवन से घर का नाम रेवडीबाई दर्ज हो गया। जो गलत है।

यह कि वादिनी का नाम बादामबाई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आईडी कार्ड में घर का नाम रेवडीबाई, तथा आधार कार्ड व राशनकार्ड में बादाम बाई दर्ज है। इस प्रकार रेवडी बाई व बादाम बाई एक ही महिला का नाम है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम बादाम बाई के स्थान पर रेवडीबाई दर्ज कर दिया है जो गलत है जिसके कारण वादिनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। वर्तमान में भी वादिनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम रेवडी बाई पुत्री सूरजमल के स्थान पर बादाम बाई पुत्री सूरजमल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादिनी ने निवेदन किया है कि ग्राम पीपल्दा सांड तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 115 की 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 486 की 0.98 हेक्टर कुल दो किता की 1.59 हेक्टर भूमि में वादिनी का नाम रेवडी बाई पुत्री सूरजमल के स्थान पर बादाम बाई पुत्री सूरजमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में रेवडी बाई व बादाम बाई एक ही महिला होना प्रकट किया है।

वादिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादिनी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम पीपल्दा सांड तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 115 की 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 486 की 0.98 हेक्टर कुल दो किता की 1.59 हेक्टर भूमि में वादिनी का नाम रेवडी बाई पुत्री सूरजमल के स्थान पर बादाम बाई पुत्री सूरजमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज०)